कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक – 3597/4-3-3. देहरादून,दिनांक,अक्टूबर–,26, 2023.

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा झाझरा रेंज के अन्तर्गत "आनन्द वन" स्थित कैन्टीन (जिला प्रशासन द्वारा निर्मित 3 काटेजों) को किराये पर देने हेतु निविदायें दिनांक–20.11.2023 तक कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून में अपरान्ह 4:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक–18.11.2023 तक किसी भी कार्यदिवस में **कार्यालय**– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, 5–तिलक रोड, देहरादून से प्राप्त किये जा सकते है । निर्धारित तिथि एंव समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा रद्द समझी जायेगी । डाक एवं अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाओं के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। निविदादाता कार्यस्थल का निरीक्षण करके तथा निविदा की शर्तों एवं प्रतिबन्धों को ध्यान पूर्वक समझकर ही निविदा प्रेषित करे। प्राप्त निविदायें दिनांक–20.11.2023 को सायं 4:30 बजे अधोहस्ताक्षरी या अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वन विभाग की वेबसाईट **www.forest.uk.gov.in** पर देखा जा सकता है।

प्रभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य अवधि	निविदा के साथ प्रेषित की जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि रू.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.
1	2	3	4	5
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	झाझरा रेंज के अन्तर्गत "आनन्द वन" पर कैन्टीन का संचालन– 1. किचन–02 कक्ष 2. जलपान कक्ष – 01 कक्ष	कार्यादेश जारी होने की तिथि से दि0 31–03–2025 तक	50,000.00	1000+18% G.S.T.

नोट–शर्तें एवं प्रतिबन्ध कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस पर देखे जा सकते है।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

I.T.C.C
विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करें।

27.10.2023

कैन्टीन

शर्ते एवं प्रतिबन्ध

1– निविदा उन संस्थाओं/प्रतिष्ठित व्यक्तिगत कम्पनियों, जिन्हें कैन्टीन संचालन करने का कम से कम 03 वर्षो का अनुभव हो से ही स्वीकार की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित निविदादाता द्वारा प्रमाण पत्र एवं 03 वर्ष का आयकर रिटर्न निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

2– कैन्टीन हेतु निविदायें बन्द लिफाफे में देनी होगी। सशर्त निविदा रद्द समझी जायेगी।

3– निविदादाता को सम्बन्धित फूड सेफ्टी ऑफिसर/इन्सपेक्टर द्वारा जारी FSSAI के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

4– निविदा की वैधता निविदा स्वीकृति की दिनांक से दिनांक–31.03.2025 तक के लिए होगी।

5– कैन्टीन संचालन का समय प्रातः 9:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक होगा।

6– निविदादाता को निविदा में कैन्टीन के मासिक किराया की दर देनी होगी तथा सफल निविदादाता को कैन्टीन का किराया त्रैमासिक आधार पर अग्रिम जमा कराना होगा।

7– निविदा हेतु स्वीकृत दरों में प्रत्येक वर्ष किराये की मासिक दर में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी।

8– निविदादाता की निविदा स्वीकार होने पर निविदा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तान्तरण नहीं की जा सकेगी।

9– निविदादाता को निविदा के साथ आयकर विभाग के पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

10– निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 या पोस्ट आफिस की पास बुक होना अनिवार्य है। बन्धक/प्रतिभूति की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के नाम प्लेज होना चाहिये।

11– निविदाओं का अनुमोदन के पश्चात तथा कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व निविदादाता को अनुमोदित निविदा मूल्य का 100 प्रतिशत धनराशि त्रैमासिक गणना के आधार पर अग्रिम जमा करनी होगी। उक्त निर्धारित समय अन्तर्गत धनराशि जमा न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं निविदादाता की सम्पूर्ण प्रतिभूति जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

12– निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को निविदा की धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में बैंक की एफ0डी0आर0 जो प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के नाम से प्लेज हो जमा करानी होगी। जिस धनराशि को निविदा अवधि के दौरान सफल कैन्टीन संचालन के उपरान्त अवधि समाप्त होने पर निविदादाता को लौटा दिया जाएगा, अन्यथा की दृष्टि में निविदादाता द्वारा देय धनराशि को इस धनराशि से समायोजित किया जाएगा।

13– निविदादाता को नियमानुसार आयकर/जी0एस0टी0, स्टाम्प शुल्क तथा शासन द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क जमा करना होगा।

14– निविदादाता द्वारा कैन्टीन के पानी, विद्युत तथा जनरेटर सेट का उपयोग करने पर मीटर रिडिंग के अनुसार भुगतान स्वयं करना होगा।

15– भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कैन्टीन से संबन्धित सभी प्रकार के करों का भुगतान निविदादाता को करना होगा।

16– यदि सफल निविदादाता निविदा की समयावधि से पूर्व किसी भी कारण से निविदा को समाप्त करने का इच्छुक हो तो उसे प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को तीन माह की अग्रिम सूचना देनी होगी।

17– यह कार्यस्थल पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र है। अतः इस स्थान पर किसी भी प्रकार का पॉलीथीन का प्रयोग प्रतिबन्धित होगा तथा कार्यस्थल की सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था निविदादाता का दायित्व होगी एवं निविदादाता द्वारा कार्यस्थल पर समुचित संख्या में कूड़े दान का प्रबन्ध करना होगा।

18– कैन्टीन के किचन, जलपान कक्ष हेतु बेसिक फर्नीचर, क्रॉकरी आदि सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।

19– यदि किसी भी प्राकृतिक या अन्य किसी कारण से निविदादाता की आवंटित कैन्टीन से आय प्रभावित होती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिये प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे। निविदादाता द्वारा बीमा आदि का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

कैन्टीन निविदादाता को जिस स्थिति में दी जायेगी, निविदा की अवधि समाप्ति पर निविदादाता को उसी स्थिति में विभाग को सौंपना होगा। विभागीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर समुचित धनराशि, जिसका निर्धारण प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा किया जायेगा, निविदादाता द्वारा देय होगी।

21— कैन्टीन में किसी भी प्रकार का निर्माण/मरम्मत कार्य बिना अनुमति के अवैध होगा। अनुमति के अनुरूप किया गया निर्माण निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात ऐसी समस्त निर्माण कार्य को उसी स्थिति में बिना किसी देय के लौटाना होगा।

22— कैन्टीन में काम पर लगाये जाने वाले सभी कार्मिकों का वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान निविदादाता को स्वंय करना होगा। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून किसी भी कार्मिक के वेतन एवं अन्य भत्तों से संबन्धित भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।

23— सफल निविदादाता द्वारा कैन्टीन में तैनात किये जाने वाले कार्मिकों का नाम, पता, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं दूरभाष नम्बर सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी को देना होगा।

24— प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन समय-समय पर निविदादाता एवं उनके कार्मिकों को करना होगा।

25— कैन्टीन में किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ रखना, विक्रय करना या उसका सेवन करना अवैध होगा।

26— कैन्टीन में सभी सामग्री की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

27— यदि सफल निविदादाता द्वारा कैन्टीन बिना कारण बताये एक सप्ताह तक बन्द रखी जाती है तो प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून कर्मचारियों व आगन्तुकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये कैन्टीन संचालित करने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

28— निविदादाता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून निविदा को निरस्त/जुर्माना करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

29— प्राप्त निविदाओं को स्वीकार करने या न करने का पूर्ण अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पास सुरक्षित है।

30— किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
पत्रांक – 3597/3-3 देहरादून,दिनांक,अक्टूबर– 26, 2023.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1— प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4— वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5— जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
6— मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सेल, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7— उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून एवं ऋषिकेश।
8— वन क्षेत्राधिकारी, झाझरा
9— नोटिस बोर्ड हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।